उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 16.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 16.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 16.07.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपदीय पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

दिनांक 15.07.2025 की सायं पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभागार में मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित शाखा प्रभारियों को उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना स्तर पर नियमित सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि पुलिस कल्याण को ध्यान में रखा जाये, थानों में बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय परिसर बनाये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजें जिससे वहां रहने की सुख सुविधाओं को सही कराया जा सके। आधुनिकीकरण में ध्यान दें, पुलिस कर्मियों के आवास, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था उनके खान-पान की व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखें।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मोहर्रम पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने पर जनपद में तैनात प्रत्येक पुलिस कर्मचारी की प्रशंसा करते हुए उनके संवाद कौशल, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु ड्यूटी के दौरान निर्वहन किये गये दायित्वों पर बधाई दी गयी है।

मासिक अपराधों की समीक्षा-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपद में घटित अपराधों के सम्बन्ध में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई जिसमें अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम, महिला अपराधों के अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, सनसनीखेज वारदातों के अभियुक्तों जैसे हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, वाहन चोर, मादक पदार्थ तस्कर एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति सीजर करने, शासन द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जनपद स्तरीय चिन्हित सनसनीखेज अपराधों के वादों को चिन्हित कर मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने, महत्वपूर्ण स्थलों में सीसीटीवी कवरेज कराए जाने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा- अवैध जुआ के विरुद्ध अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने तथा अवैध शराब, गांजा, शस्त्र के निष्कर्षण, भंडारण व बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने, सभी मुख्य बाजार/मार्गों, चौराहों एवं हाइवे पर रात्रि गश्त एवं प्रभावी चेकिंग करने, IGRS पोर्टल पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थनापत्रों का भली-भाँति अवलोकन कर उनमें निष्पक्ष जांच करने तथा समय से उनको निस्तारित करने के सम्बन्ध में गोष्ठी में उपस्थित समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों के साथ शालीन व्यवहार करें, जिससे कि आम जनता का स्थानीय पुलिस पर भरोसा बना रहे और वह अपनी समस्या/शिकायत को मित्रवत साझा कर सकें।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित श्रावण मास एवं आगामी गणेश चतुर्थी तथा बारावफात जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया कि त्यौहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। धार्मिक आयोजनों, जुलूसों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जुलूसों के मार्ग का पूर्व भ्रमण कर संभावित विवादित स्थानों पर सतर्कता बरती जाए।

यातायात प्रबन्धन- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से आमजन में यातायात नियमों की जागरूकता बढाई जाये साथ ही जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए, उसके विरुद्ध नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार, सीए जाकिर हुसैन, वाचक शिवपाल सिंह सहित सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं जनपदीय पुलिस की सभी शाखाओं के प्रभारीगण मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक- 16.07.2025 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए। यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 16.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 02 नफ़र अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा अभियान के तहत संयुक्त पुलिस टीम गठित की गयी।

जिसमें उ.नि. चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त रघुवीर पुत्र मुन्नी लाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी बांस पहाड़ी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को वन विभाग जंगल रामनगर टोला तालाब से पास से हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 3/25 A Act पंजीकृत किया गया विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

इसी क्रम में उ.नि. विनोद कुमार सिंह मय हमराह के नेतृत्व में द्वितीय पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त पंकज अहिरवार पुत्र खचोरा अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बांस पहाड़िया श्रीनगर थाना श्रीनगर जनपद महोबा ग्राम सूपा के पास से हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ ।

बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में क्रमशः मु0अ0सं0 149/2025 व मु0अ0सं0 150/2025 धारा 3/25 A Act का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ.नि. चन्द्रशेखर सिंह 2.उ0नि0शुभम सिंह 3.का0 नन्दलाल 4.का0 संदीप कुमार

1. उ.नि. विनोद कुमार सिंह 2. हे.कां.अजीत तिवारी 3.हे.कां.राजाराम

गिरफ्तार अभियुक्तगण व बरामदगी-

1. रघुवीर पुत्र मुन्नीलाल उम्र करीब 24 वर्ष बरामदगी एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2. पंकज पुत्र खचोरा अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष बरामदगी एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

निवासीगण बांस पहाड़िया श्रीनगर थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 16.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 अंकित कुमार यादव मय हमराह कां0 कुंवर पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रईस पुत्र भइयालाल खान उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 64/2019 अं0सं0 593/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अंकित कुमार यादव
2. कां0 कुंवर पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

रईस पुत्र भइयालाल खान उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

महोबा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.07.2025

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ प्रमुख कस्बा/बाजार, मिश्रित आबादी व महत्वपूर्ण/सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त की गयी, स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षित परिवेश का कराया गया एहसास।

आज दिनांक 16.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद महोबा के थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में प्रमुख कस्बों, बाजार व मिश्रित आबादी वाले स्थानों में अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से व्यस्तम भीड़- भाड़ वाले प्रमुख स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त की गयी ।

पैदल गश्त के दौरान आमजनमानस से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उनसे संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर पुलिस बल को तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रात्रि ड्यूटियाँ एवं रात्रि पुलिस मोबाइल द्वारा विशेष सतर्कतापूर्वक लगातार भ्रमणशील रहते हुए गस्त करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

पैदल गस्त के दौरान जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग, बिना सीट बेल्ट, वाहनों पर लगी काली फ़िल्म व अवैध ई-रिक्शा के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालें वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी।